

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक क्लर्क या कार्यवाही मय इनीशियलस जज करेडा (पौलवाडा) पं० सं. 66/2024
30/08/2024	<p> पत्रावली करीबवाडी/स्वयंवाडी के प्रपत्र पर पत्रावली शिगद से सख की गई। प्रकरण में स्वयं वाडी ने प्रपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा न्यायालय में दाखल वाड पर मैं और भारी कोश कार्यवाही नहीं चाहता हूँ क्योंकि मेरे द्वारा परियाडीगण व वाडी स्वयं के मुख्य आपसी राजीनामा गाव के मोतवीरन के आपसी समझौते से समझौता करा दिया वाडी ने अपने शपथपत्र में यह भी अंकित किया कि वादग्रह भाराजियात वाडी की पुर्वजों की पुर्वजों के विक्रमगण की संकेत 2004 से अर्थात् 76 वर्ष पूर्व से ही विक्रमगण में पूर्वजों की पुर्वजों होने से वाडी का हक नहीं बनता तथा वाडी ने अपने शपथपत्र में यह भी अंकित किया कि वाडी की माता लक्ष्मी पत्नी सुवनाथ एवं छोटी पत्नी पुत्री सुवनाथ पत्नी किशाननाथ निवासी शरणा रवेडा, मीरा पुत्री सुवनाथ पत्नी हरानाथ निवासी-चारुजी रवेडा (रघुनाथपुरा) संतोष पुत्री सुवनाथ पत्नी जीयानाथ निवासी-रमोल्का गणी पुत्री सुवनाथ पत्नी जगदीशनाथ निवासी डेवणी तस्मील करेडा जो इस वाड पर मैं और आबादी है तथा वाडी ने इस वाड पर को इन्ही तथ्य/दस्तावेज/समझौता राजीनामा </p>

न्यायालय उपखंड अधिकारी
 पदेन सहायक क्लर्क या कार्यवाही मय इनीशियलस जज
 करेडा (पौलवाडा)

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखंड अधिकारी पदेन सहायक क्लर्क या कार्यवाही मय इनीशियलस जज करेडा (पौलवाडा) पं० सं. 66/2024	नम्बर व तारीख अडकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
30/08/2024	<p> के आचार पर वाड पर को निर्ण करने की प्रपत्र की मन्दी वादी की माता व छोटी रत वाड पर में वादी/अकार नहीं है। किन्तु शपथपत्र में अंकित तथ्यों से पूर्ण रूप से सख है। प्रकरण में पत्नी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रपत्राप्र 500/- के रूप में अचिकर द्वारा नोदरी पब्लिक से प्रमाणित पेश किया जिसे शामिल करावली किया गया। प्रस्तुत शपथपत्र/राज्य रिकॉर्ड एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी संपत्त 2004 में अंकित प्रविष्टि अद्वैत वादी बन्धुनाथ के मुख्य प्रमाण का वादग्रह भाराजियात में नाम अंकित नहीं होना पाया जिससे यह अन्ती आंती साबित होरा है कि वादग्रह भाराजियात वाडी की पुर्वजों नहीं होकर परियाडी गण के विक्रमगणों के पूर्वजों की ही है। अतः वाडी का वाड पर वाडी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र/प्रपत्राप्र के आचार पर एवं वाडी द्वारा स्वयं कोश कार्यवाही नहीं चालने से एवं वाडी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के आचार पर वाडी का वाड पर इन्ही दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित है। साथ ही मूल वाड के साथ प्रस्तुत प्रपत्र अन्तरि चारा 2/2 पं० सं. 122/2024 में जारी एक पत्रावली अख्याई निषेचानी दिनांक 8/04/2024 को मूल वाड के निरूपण हो जाने से स्वतः निरस्त माना जावे। पत्रावली फलपरिहार होकर उक्त नम्बर से काम हो। </p>	

न्यायालय उपखंड अधिकारी
 पदेन सहायक क्लर्क या कार्यवाही मय इनीशियलस जज
 करेडा (पौलवाडा)